न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

नम्बर व तारीख अहकाम मय हुक्म की तामील जारी हुए

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 03/2016

विनिता देवी उम्र 27 वर्ष पत्नी मनोज जाति जांगिड़ निवासी ताजसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर राजस्थान

........वादीनी

बनाम

1. तारामणी उम्र 70 वर्ष बेवाह लूणाराम
2. श्यामसुंदर उम्र 52 वर्ष
3. सुगनाराम उम्र 43 वर्ष
4. रामप्रताप उम्र 40 वर्ष

समस्त पुत्रगण लूणाराम जाति माली निवासीगण वार्ड नं. 29 तहसील फतेहपुर जिला सीकर

5. तहसीलदार , फतेहपुर जिला–सीकर

.........प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

वाद बाबत बंटवारा

उपस्थित अधिवक्ता
श्री राजपाल – वादीनी
श्री दिनेश शर्मा– प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक:–14.03.2018

वादीनी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कस्बा फतेहपुर की तन में एक किता काश्त भूमि ख0नं0 1489 रकबा 1.5600 हैक्टेयर स्थित है। विवादित आराजी में से वादीया ने सह–खातेदार नोरंगलाल से उसके 1/5 हिस्से की पश्चिमी ओर की काश्त भूमि को जरिये पंजीबद्ध विक्रय–पत्र से क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया तब से वादीया अपने क्रयशुदा भूमि भाग पर लगातार निरन्तर निर्बाध रुप से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है।

वादीया ने अपने क्रयशुदा पश्चिमी भूमि भाग की रक्षार्थ तारबन्दी व बाड़ लगा रखी है तथा कुछ जगह मिट्टी की डोल बना रखी है लेकिन प्रतिवादीगण आये दिन नींव–सींव को लेकर वादीया से झगड़ा – फसाद करते रहते है तथा वादीया की भूमि की नींव–सींव के साथ कब्जे में हस्तक्षेप करते रहते है। इसलिए वादीया प्रतिवादीगण के साथ अपना खाता नहीं रखता चाहती है। इसलिए वादीया अपना खाता अलग करवाने की अधिकारिणी है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

विवादित आराजी अभी तक अविभाजित काश्त भूमि है जिसका अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ होने के कारण भी प्रतिवादीगण वादीया की नींव–सींव से छेड़छाड़ करते रहते हैं जिससे वादीया को काफी हेरानी –परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादीया के 1/5 हिस्से का खाता अलग किया जाकर नींव–सींव का अलग से कायम किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। वादीया ने प्रतिवादीगण ने कई मर्तबा कहा कि वे वादी के पश्चिम हिस्से में नींव–सींव में किसी प्रकार की तोड़–फोड़ नहीं करें जिस पर प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले दो दिनों से स्पष्ट रुप से इंकार होने पर यह वाद लाना आवश्यक हुआ।

वाद वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जाकर वादपत्र की धारा–1 में अंकित काश्त भूमि ख0नं0 1489 रकबा 1.5600 हेक्टेयर वाके कस्बा फतेहपुर का विधिवत बंटवारा किया जाकर वादीया के पश्चिमी 1/5 हिस्से की काश्त भूमि का खाता अलग किया जाकर अलग से नींव–सींव कायम की जावे।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 3 बावजूद तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रति. सं. 1, 4 की ओर से श्री दिनेश शर्मा एड. ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। प्रति. 2 की ओर से श्री सतीश कुमार एड. ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। प्रकरण में प्राथमिक डिकी जारी की गयी। तहसीलदार, फतेहपुर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अतः वाद वादी डिकी किया जाता है कि ग्राम कस्बा फतेहपुर के खसरा नम्बर 1489 रकबा 1.56 है0 का निम्नानुसार विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	विनिता देवी पत्नी मनोज जाति जांगिड़ सा. ताजसर	1489/1	0.3120	बा.2	1.00
2	श्यामसुन्दर पुत्र लूणाराम जाति माली सा. देह	1489/2	0.3120	बा.2	1.00
3	मुन्नाराम पुत्र लूणाराम जाति माली सा. देह	1489/3	0.3120	बा.2	1.00
4	तारामणी पत्नि लूणाराम जाति माली सा. देह	1489/4	0.3120	बा.2	1.0
5	रामप्रताप पुत्र लूणाराम जाति माली सा. देह	1489/5	0.3120	बा.2 0.1720 बा. 3 0.14	0.5 0.3

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिका
फतेहपुर (सीकर

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी.................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

जलास...............रेनू मीणा (आर.ए.एस..)..

विनिता देवी उम्र 27 वर्ष पत्नी मनोज जाति जांगिड़ निवासी ताजसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर राजस्थान

........वादीनी

बनाम

1. तारामणी उम्र 70 वर्ष बेवाह लूणाराम
2. श्यामसुंदर उम्र 52 वर्ष
3. मुन्नाराम उम्र 43 वर्ष
4. रामप्रताप उम्र 40 वर्ष

   समस्त पुत्रगण लूणाराम जाति माली निवासीगण वार्ड नं. 29 तहसील फतेहपुर जिला सीकर
5. तहसीलदार , फतेहपुर जिला–सीकर

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत बंटवारा

मुकद्दमा नं.....03..............................सन्...2016...

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे..

व हाजिरी...श्री राजपाल एडवोकेट...........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......श्री दिनेश शर्मा मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम कस्बा फतेहपुर के खसरा नम्बर 1489 रकबा 1.56 है0 का निम्नानुसार विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	विनिता देवी पत्नी मनोज जाति जांगिड़ सा. ताजसर	1489/1	0.3120	बा.2	1.00
2	श्यामसुन्दर पुत्र लूणाराम जाति माली सा. देह	1489/2	0.3120	बा.2	1.00
3	मुन्नाराम पुत्र लूणाराम जाति माली सा. देह	1489/3	0.3120	बा.2	1.00
4	तारामणी पत्नि लूणाराम जाति माली सा. देह	1489/4	0.3120	बा.2	1.00
5	रामप्रताप पुत्र लूणाराम जाति माली सा. देह	1489/5	0.3120	बा.2 0.1720 बा. 3 0.14	0.53 0.30

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

...— ....मुबलिग..............—....................बाबत.......................—....................
... मुकद्दमें के मय शूद बशरह...............—........................फीसदी सालाना आज की तारीख से
अदायगी तक.......................................का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....14.....माह .....मार्च..........सन् 2018 को जारी
गई।

मुहर

दस्तखत..

ओहदा.................................. उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	—	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महन्ताना वकील	—		महन्ताना वकील	—	
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान	—	
फीस कमिश्नर	—		फीस कमिश्नर	—	
बबत इजराय हुक्मनामा	—		बबत इजराय हुक्मनामा	—	
मुतफरिक	—		मुतफरिक	—	
मीजान	3			1	

नोट — इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।

प्राथमिक पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी.................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

जलास................देविका तोमर (आर.ए.एस..)...

1. विनिता देवी उम्र 27 वर्ष पत्नी मनोज जाति जांगिड़ निवासी ताजसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. तारामणी उम्र 70 वर्ष बेवाह लूणाराम
2. श्यामसुन्दर उम्र 52 वर्ष
3. मन्नाराम उम्र 43 वर्ष
4. रामप्रताप उम्र 40 वर्ष पुत्रगण लूणाराम समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नं. 29 फतेहपुर तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान
5. तहसीलदार, फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा

मुकद्दमा नं.....03..............................सन्....2016..

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...........मेरे...

व हाजिरी...श्री राजपाल एडवोकेट..........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......श्री दिनेश शर्मा, सतीश कुमार एडवोकेट ....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि तहसीलदार, फतेहपुर को आदेश दिया जाता है कि कस्बा फतेहपुर की भूमि खसरा नम्बर 1489 रकबा 1.5600 है. का विधिवत बंटवारा कया जाकर वादीया के पश्चिमी 1/5 हिस्से की काश्त भूमि का अलग किया जाकर अलग से नींव – सींव कायम की जाकर बंटवारा प्रस्ताव बंटवारा प्रस्ताव व मौका नक्शा विभिन्न रंगों से दर्शाते हुए उभय पक्षों की उपस्थिति में दो प्रतियों में भिजवाया जावे।

निज.........– ....मुबलिग................–.....................बाबत.......................–....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह.................–...........................फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीख अदायगी तक..का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....28......माह ......अगस्त.........सन् 2017 को जारी की गई।

दस्तखत..

मुहर ओहदा....उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
र्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	0	
वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	3	
प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
न्ताना वकील	—		महन्ताना वकील	—	
र्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान	—	
फीस कमिश्नर	—		फीस कमिश्नर	—	
बबत इजराय हुक्मनामा	—		बबत इजराय हुक्मनामा	—	
मुतफरिक	—		मुतफरिक	—	
मीजान	3			3	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नर्ह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधि
फतेहपुर (सी